(137)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक प्र0क0 अपील 8009–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–8–2015 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर पृष्ठांकन कमांक 5(1)2015–16/3537.

ग्वालियर एल्कोब्रू प्रायवेट लिमिटेड
(फॉरमली ग्वालियर डिस्टलरीज लि.)
रायरू फार्म, आगरा मुम्बई रोड, ग्वालियर
द्वारा जनरल मैनेजर पी.व्ही. मुरलीधरन
पुत्र स्व. व्ही.व्ही.एस. नाम्बीशान
निवासी रायरू फार्म, ग्वालियर .....अपीलार्थी

विरूद्ध

आबकारी आयुक्त
मोतीमहल, ग्वालियर .....प्रत्यर्थी

श्री आशीष शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/4/17 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में आबकारी अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 31–8–2015 को आदेश पारित कर देशी मदिरा भांडागारों के उन्नयन व वाटर सॉफ्टनर प्लांट की स्थापना हेतु व्यय की गई राशि रूपये 26,23,860/– सम्बंधित आसवक संविदाकारों को आदेश के बिन्दु कमांक 2 की सारिणी के कॉलम नं. 3 में अंकित राशि एक सप्ताह में जमा कर मूल चालान, कोषालय सत्यापन प्रमाण पत्र सहित प्रभारी अधिकारी के

माध्यम से भेजे जाने के निर्देश दिये गये । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि आबकारी अधिनियम तथा देशी स्प्रिट नियम, 1995 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वाटर सॉफ्टनर प्लांट स्थापित करने में हुए व्यय की राशि अपीलार्थी से वसूल की जाये । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबकारी आयुक्त को वाटर सॉफ्टनर प्लांट की स्थापना में हुए व्यय की राशि अपीलार्थी से वसूल करने के आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है ।

4/ प्रत्यर्थी की ओर से सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाना था, किन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आबकारी आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि देशी मदिरा विनिर्माण भांडागारों में वाटर सॉफ्टनर प्लांट की स्थापना में व्यय की गई राशि की वसूली संबंधित संविदाकार आसवकों से वर्ष 2005–06 से वर्ष 2014–15 तक दस वर्षों की अवधि में भांडागारों के किराये में वृद्धि कर वसूल की जाना थी । महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा उक्त राशि की वसूली संबंधित प्रदाय संविदाकारों से न करने के संबंध में आपत्ति ली गई है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा सम्बंधित आसवक संविदाकारों को आबकारी आयुक्त के आदेश के बिन्दु कमांक 2 की सारिणी के कॉलम नं. 3 में अंकित राशि एक सप्ताह में जमा कर मूल चालान, कोषालय सत्यापन प्रमाण पत्र सहित प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भेजे जाने के निर्देश देने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2015 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर